न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2003 (बांसवाड़ा आर्डर)

1. मणीलाल पिता शंकरलाल, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जयवर्धन पिता गोवर्धन, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती जवरी बेवा गोवर्धन, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मृतक चन्दुलाल पिता शंकरलाल, जाति भोई के विधिक वारिसान :–

4/1. श्रीमती रमीला पत्नी चन्दुलाल, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/2. सुश्री रंजना पुत्री चन्दुलाल, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

4/3. अंकित पुत्र चन्दुलाल नाबालिग वलिया माता व संरक्षक श्रीमती रमीला पत्नी चन्दुलाल, जाति भोई, निवासी भुंगड़ा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

बनाम

1. श्रीमती कंकु देवी पत्नी रमणलाल, जाति भील, निवासी कानाडो की पाडा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती निर्मला निनामा पत्नी कृष्णकांन्त, जाति भील, निवासी गणेशपुरा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती बदु देवी सारेल पत्नी भवानी शंकर सारेल, जाति भील, निवासी सोमपुर, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती शारदा देवी चरपोटा पत्नी रूपलाल, जाति भील, निवासी गोरछा, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
दिनांक 04.01.2023 प्र.सं. 24/2021

Signature Not Verified

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री जयेन्द्र पुरोहित [illegible] अपीलान्टगण

2– [illegible]

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:12 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

निर्णय **दिनांक 20–02–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 2331/324 रकबा 0.44 हैक्टर ग्राम भूंगडा में स्थित है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजी में कोई हक अधिकार नहीं होते हुए भी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा जबरन कब्जा करने पर उतारू हैं। अतः विपक्षीगण जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रवेश नहीं करें तथा प्रार्थीगण के शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विवादित आराजी पर कब्जा विपक्षीगण का होकर उनका मकान बना हुआ है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 14–12–2022 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक पक्षकारों को न्यायालय आदेश की पालना करने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 20–01–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 30/21 में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र कोई निर्णय पारित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने सर्वे नंबर 2331/324 के संबंध में तहसीलदार को रिसीवर नियुक्त कर दिया, जबकि [illegible] कोई प्रार्थना नहीं की गयी है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की पैत्रक स[illegible] है [illegible] शंकर को वादग्रस्त सम्पत्ति अन्तरित करने का कोई अधिकार न[illegible]। शंकर की मृत्यु के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:12 IST
Reason: SelfAttested

उप–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पश्चात् अपीलान्टगण मौके पर काबिज हैं। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोन्डेन्टगण के हक में किसी प्रकार के हक अधिकारों का सृजन नहीं होता है तथा उक्त विक्रय अपीलान्टगण के मुकाबले प्रभाव शून्य है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में यह माना कि "दोनों पक्षों ने क्रोस केस कर रखे हैं, जिससे दोनों पक्षों में विवाद होना प्रतीत होता है। पूर्व में भी दोनों पक्षों को पुलिस द्वारा पाबन्द किया गया है। विवादित की स्थिति को देखते हुए किसी एक पक्ष के लिए कृषि कार्य के लिए अनुमत करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। विवाद की स्थिति को देखते हुए मूलवाद के निस्तारण तक तहसीलदार घाटोल को वादग्रस्त आराजी नंबर 2331/324 रिसीवर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार वादग्रस्त आराजी को मूलवाद के निस्तारण तक अपने कब्जे में लेकर यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर कोई मकान, कुंआ इत्यादि बने हो तो उनको नुकशान किए बिना कोई अन्य नवनिर्माण न हो। उभयपक्षों में से कोई भी पक्षकार कृषि कार्य नहीं करे एवं वादग्रस्त आराजियात के लिए शान्ति बनी रहे। उभयपक्षों को मूलवाद के निस्तारण तक न्यायालय आदेश की पालना करने पाबन्द किया जाता है।" अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश प्रकरण में पक्षकारों की विवाद की स्थिति को देखते हुए प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–12–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
प्रभारी अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:12 IST
Reason: SelfAttested